भारत सरकार
स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय
स्वास्थ्य और परिवार कल्याण विभाग

लोक सभा
अतारांकित प्रश्न संख्या: 883
07 फरवरी, 2025 को पूछे जाने वाले प्रश्न का उत्तर

गरीबों पर पैथोलॉजिकल परीक्षणों का वित्तीय बोझ

883. **श्री गिरिधारी यादव:**

क्या **स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) क्या यह सच है कि वर्ष 2020 में कोविड-19 के प्रकोप के बाद से रोगियों को डॉक्टरों, अस्पतालों और नैदानिक केन्द्रों की मिली भगत से कोरोना और अन्य वायरस से संबंधित पैथोलॉजिकल टेस्ट कराने के लिए मजबूर होना पड़ रहा है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;
(ख) क्या यह सच है कि विभिन्न परीक्षणों के लिए मानक दरों के अभाव में गरीबों को अपनी जरूरी आवश्यकताओं में कटौती करके जीवित रहने के लिए अपनी जांच कराने के लिए बाध्य होना पड़ता है जिसके कारण उनकी आर्थिक स्थिति बिगड़ती जाती है और कभी-कभी वे कर्ज में डूब जाते हैं और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और
(ग) क्या सरकार का देश में सभी रोग संबंधी परीक्षणों के लिए कोई मानक दर निर्धारित करने का विचार है और यदि हां, तो ऐसा कब तक किए जाने की संभावना है और यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

उत्तर
स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय में राज्य मंत्री
(श्री प्रतापराव जाधव)

(क) से (ग): 'स्वास्थ्य' राज्य का विषय है और यह राज्य/संघ राज्य क्षेत्र (यूटी) सरकार की जिम्मेदारी है कि वह निजी स्वास्थ्य सुविधा केन्द्रों में रोगियों द्वारा भुगतान किए जाने वाले परीक्षण प्रभारों सहित अपने क्षेत्राधिकार में आने वाली पैथॉलोजिकल प्रयोगशालाओं को विनियमित करें।
भारत सरकार ने नैदानिक प्रयोगशालाओं सहित नैदानिक स्थापनों को पंजीकृत और विनियमित करने के लिए अपनी ओर से नैदानिक स्थापन (रजिस्ट्रीकरण एवं विनियमन) अधिनियम, 2010 (सीईए) अधिनियमित किया है और नैदानिक स्थापन (केन्द्र सरकार) नियम, 2012 अधिसूचित किए हैं।

उपर्युक्त अधिनियम के अंतर्गत नैदानिक स्थापनों को केन्द्र/राज्य सरकारों द्वारा जारी मानक उपचार दिशा-निर्देशों का अनुपालन करना तथा प्रत्येक प्रकार की प्रक्रिया और सेवा के लिए समय-समय पर निर्धारित दरों की रेंज के भीतर दरें प्रभारित करना भी अपेक्षित है। राष्ट्रीय नैदानिक स्थापन परिषद ने चिकित्सा प्रक्रियाओं की एक मानक सूची और चिकित्सा प्रक्रियाओं की लागत के निर्धारण के लिए एक मानक टेम्पलेट अनुमोदित किया है और इसे राज्यों और संघ राज्य क्षेत्रों के साथ साझा किया है। आगे की कार्रवाई राज्य/संघ राज्य क्षेत्र सरकारों के कार्यक्षेत्र में आती है। उक्त अधिनियम का कार्यान्वयन एवं प्रवर्तन राज्य/संघ राज्य क्षेत्र सरकारों के अधिकार क्षेत्र में आता है।

राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन (एनएचएम) के तहत, भारत सरकार ने 2015 में 'नि:शुल्क नैदानिक सेवा पहल' शुरू की है। इस पहल का उद्देश्य सरकारी स्वास्थ्य सुविधा केन्द्रों के सभी स्तरों पर समुदाय के निकट सुलभ और वहनीय पैथॉलोजिकल और रेडियोलॉजिकल नैदानिक सेवाओं की विस्तृत श्रृंखला निशुल्क प्रदान करना है जिससे रोगियों द्वारा जेब से किए जाने वाले व्यय को कम किया जा सके।

इसके अलावा, आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री-जन आरोग्य योजना (एबी पीएम-जेएवाई) के तहत लाभार्थियों को माध्यमिक और विशिष्ट स्वास्थ्य परिचर्या के लिए अस्पताल में भर्ती हेतु प्रति वर्ष प्रति परिवार 5 लाख रुपये का स्वास्थ्य कवर प्रदान किया जाता है। इस योजना के तहत, यह सुनिश्चित करने के लिए कि अस्पताल अधिक प्रभार न वसूलें और अस्पतालों में दरें अलग-अलग न हों, पैनलबद्ध स्वास्थ्य परिचर्या प्रदाताओं को निर्दिष्ट पैकेज दरों के आधार पर भुगतान किया जाता है, जिसमें पैथोलॉजी और रेडियोलॉजी परीक्षणों के लिए प्रभार शामिल हैं।

*****